चीन के तिब्बत प्रदेश और भारत के बीच
व्योपार और संसर्ग के विषय में चीन के
लोक गणराज्य और भारत गणराज्य का

इकरारनामा

चीन के लोक गणराज्य की केन्द्रिय लोक सरकार और भारत गणराज्य की सरकार यह चाहती है कि चीन के तिब्बत प्रदेश और भारत के बीच व्योपार और सांस्कृतिक संसर्ग बढ़ाया जाये और दोनों देशों की जनता को एक दूसरे के देश में तीर्थयात्रा और सफ़र की सुविधायें हों। इस उद्देश्य से इन्हों ने नीचे लिखे सिद्धांतों के आधार पर इकरारनामा करने का निश्चय किया है :-

(क) एक दूसरे की इलाकावारी सुस्थिरता और प्रभुता का आदर करना

(ख) एक दूसरे पर कभी हमला न करना

(ग) एक दूसरे के अन्दरूनी मामलों में दखल न देना

(घ) समता और परस्पर हित की नीति अपनाना, और

(च) शान्ति से साथ साथ रहना।

और इस उद्देश्य से उन्हों ने अपने अपने पूर्णाधिकारी नियुक्त किये हैं, जो चीन के लोक गणराज्य की केन्द्रिय लोक सरकार की तरफ़ से केन्द्रिय लोक सरकार के विदेश विभाग के उपमन्त्री परम श्रेष्ठ चांग हान-फू और भारत सरकार की तरफ़ से चीन के लोक गणराज्य में मातबर रूप से भेजे हुये भारत सरकार के असाधारण पूर्णाधिकारी राजदूत परम श्रेष्ठ

नेडियम राघवन हैं। इन दोनों ने एक दूसेर के विश्वासन पत्रों को भली भांति देख कर और उनको उचित और ठीक रूप में पाकर, निम्नलिखित स्वीकार किया है :-

अनुच्छेद I.

दोनों उच्च पक्षों ने आपस में व्योपारी एजंसियां स्थापित करने का निश्चय किया है।

१. भारत सरकार इस बात पर राज़ी है कि चीन सरकार नई दिल्ली, कलकत्ता और कालिमपौंग में व्योपारी एजंसियां स्थापित करे।

२. चीन सरकार इस बात पर राज़ी है कि यातुंग, ग्यांत्से और गर्तोक में भारत सरकार व्योपारी एजंसियां स्थापित करे।

दोनों पक्षों की व्योपारी एजंसियों को एक जैसा पद और एक जैसा बर्ताव मिलेगा। दोनों पक्षों के व्योपारी एजंटों को अपने पदकर्तव्य के पालन में गिरिफतारी से मुक्ति होगी। और उनको उनकी स्त्रियों को और उनकी संतान को जो उनपर पालन पोषण के लिये निर्भर हैं तलाशी से मुक्ति होगी। दोनों पक्षों की व्योपारी एजंसियों को हरकारों, डाक के थैलों और कोड से संदेसे भेजने के बोरे में रियायत व छूट होगी।

अनुच्छेद II.

दोनों उच्च पक्ष इस बात पर राज़ी हैं कि उन परिचित व्योपारियों को जो चीन के तिब्बत प्रदेश और भारत के बीच रीतिअनुसार

और निर्दिष्टता से व्योपार करते रहे हैं, निम्नलिखित स्थानों में व्योपार करने की इजाज़त होगी :-

१. चीन सरकार निम्नलिखित व्योपार केन्द्र (मार्केट्स फार ट्रेड) निर्दिष्ट करती है : (क) यातुंग (ख) ग्यांत्से (ग) फारी।

भारत सरकार इस बात पर राजी है कि रीति अनुसार भारत में, जिसमें कालिमपोंग, सिलीगुड़ी, कलकत्ता जैसे स्थान शामिल हैं, व्योपार किया जाये।

२. चीन सरकार निम्नलिखित व्योपार केन्द्र (मार्केट्स फार ट्रेड) निर्दिष्ट करती है : (क) गोंक (ख) पुलनचुंग (तकलाकोट) (ग) ग्यानिमा खारगो (घ) ग्यानिमा चक (ङ) रामुरा (च) डोंगबा (छ) पुलिंग समदो (ज) नाबरा (झ) शांगत्सी और (ञ) ताशीगोंग।

भारत सरकार इस बात पर राजी है कि भविष्य में चीन के तिब्बत प्रदेश के आरी ज़िले और भारत के बीच में होने वाले व्योपार के विकास और आवश्यकता के अनुसार जब चीन के तिब्बत प्रदेश के आरी ज़िले से मिले हुये भारत के ज़िले में व्योपार के केन्द्र (मार्केट्स फार ट्रेड) निर्दिष्ट करना आवश्यक हो तो वे समानता और पारस्परिकता के आधार पर ऐसा करने का विचार करने के लिये तैय्यार होगी।

अनुच्छेद III.

दोनों उच्च पक्ष इस बात पर राजी हैं कि दोनों देशों के धार्मिक तीर्थयात्री निम्नलिखित शर्तों के अनुसार तीर्थयात्रा कर सकेंगे :-

१. भारत के लामा, हिन्दू और बौद्ध धर्मों को मानने वाले तीर्थयात्री रीतिअनुसार चीन के तिब्बत प्रदेश में कांगरिंपोचे (कैलाश) और मवांत्सो (मानसरोवर) में आ जा सकते हैं।

२. चीन के तिब्बत प्रदेश के लामा और बौद्ध धर्मों को मानने वाले तीर्थयात्री भारत में, रीतिअनुसार, बनारस, सारनाथ, गया और सांची में आ जा सकेत हैं।

३. जो तीर्थयात्री यथारीति लहासा जाते रहे हैं वह अब भी रीतिअनुसार वहां आ जा सकते हैं।

अनुच्छेद IV.

दोनों देशों के व्योपारी और तीर्थयात्री नीचे लिखे दर्रों और रास्ते से आ जा सकते हैं :-

(क) शिपकी ला दर्रा

(ख) माना दर्रा

(ग) नीती दर्रा

(घ) कुंगरी बिंगरी दर्रा

(ङ) दरमा दर्रा

(च) लिपुलेख दर्रा

इसके इलावा रिवाजी रास्ता जो ताशीगांग को शांगांतसंगपू (सिंध) नदी की घाटी के साथ साथ जाता है वह रीतिअनुसार आपेंदा भी इस्तेमाल किया जाता रहेगा।

अनुच्छेद V.

दोनों उच्च पक्ष इस बात पर राजी हैं कि सीमा पार यात्रा करने के लिये दोनों देशों के डिपलोमैटिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और राष्ट्रवासियों को पासपोर्ट रखना आवश्यक होगा। यह पासपोर्ट अपने अपने देशों से जारी होंगे और इनको वीजा दूसरे देश की तरफ से दिया जायगा। परन्तु नीचे लिखे 1,2,3,4 खंडों में वर्णित राष्ट्रवासियों के लिये इसका अपवाद भी होगा :—

1. दोनों देशों के उन परंपरित व्योपारियों को जो रीतिअनुसार और निर्दिष्टता से चीन के तिब्बत प्रदेश और भारत के बीच व्योपार करते रहे हों, उनकी स्त्रियों और संतान को जो उन पर पालन पोषण के लिये निर्भर हैं, और उनके नौकर चाकरों को भारत या चीन के तिब्बत प्रदेश में, यथोचित, व्योपार के लिये प्रवेश करने की अनुमति यथारीति दी जायेगी जब वह उन प्रमाणपत्रों का पेश कर देंगे जो उनके देशों की स्थानिक सरकार ने या उनके यथानियम अधिकार प्राप्त एजंटों ने जारी किये हों और उनको दूसरे देश को सरहदी जांच चौकी पर निरीक्षण

२. दोनों देशों के सरहदी ज़िलों के निवासी जो छोटा मोटा व्योपार करने के लिये या अपने मित्रों और सम्बन्धियों को मिलने के लिये सीमा पार करते हैं, दूसरे देश की सीमा के साथ वाले ज़िलों में रीति अनुसार, जैसे अब तक, आ जा सकते हैं और उन पर अनुच्छेद ५ में वर्णित दरों या रास्ते की पाबंदी नहीं होगी और उनको पासपोर्ट, वीज़ा या आज्ञापत्र लेने की ज़रूरत नहीं होगी।

३. दोनों देशों के पोर्टरों व खच्चर चलाने वालों को जो आवश्यक यातायात के काम में सीमा पार करते हैं, अपने देश से जारी किये हुये पासपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु उनको केवल निश्चित समय के लिये मान्य (तीन महीने, आधे साल, या एक साल के लिये) प्रमाण पत्र लेने होंगे जो उनकी स्थानिक सरकार ने या उनके यथा-नियम अधिकार प्राप्त एजेंटों ने जारी किये हों। इन प्रमाण पत्रों की दूसरे पक्ष की सरहदी जांच चौकियों में रजिस्ट्री करानी होगी।

४. दोनों देशों के तीर्थयात्रियों को प्रमाणीकरण के लेखपत्र लेना आवश्यक नहीं है। परन्तु उनको दूसरे पक्ष की सरहदी जांच-चौकियों में अपने नाम की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी और तीर्थयात्रा के लिये उनको आज्ञापत्र मिलेगा।

५. इस अनुच्छेद के गत खंडों में लिखी शर्तों के बावजूद दोनों सरकार किसी भी विशेष व्यक्ति को अपने देश में प्रवेश करने से इनकार कर सकती है।

६. जो व्यक्ति दूसरे पक्ष के इलाके में इस अनुच्छेद के गत खंडों की शर्तों के अनुसार प्रवेश करें वह उस पक्ष की नियत की हुई प्रणालियों पर अमल करने के बाद ही उस पक्ष के इलाके में ठहर सकते हैं।

अनुच्छेद VI

यह इकरारनामा दोनों सरकारों की मन्जूरी की तिथि से अमल में आ जायेगा और आठ वर्ष तक चालू रहेगा। दोनों पक्ष इस इकरारनामे को और समय तक बढ़ाने के लिये बातचीत कर सकते हैं यदि कोई एक पक्ष आठ वर्ष पूरे होने के छः महीने पहले ऐसा करने की मांग करे और दूसरा पक्ष इस मांग को स्वीकार करले।

इस इकरारनामे के चीनी, हिन्दी और अंग्रेज़ी में दो दो प्रतिरूप २८ अप्रैल १९५४ को पीकिंग में लिखे गये हैं। इकरारनामा तीनों भाषाओं में एक सा मान्य होगा।

章汉夫

(चांग हान्-फू)

चीन के लोक गणराज्य की केन्द्रिय लोक सरकार का पूर्णाधिकारी

नै. राघवन्

(नेडियम राघवन)

भारत के गणराज्य की सरकार का पूर्णाधिकारी